आ0सं0:—भवन—13 / अभि0प्र0(नि0)—03—निलंबन / कालीकृत—02 / 2023............दिनांक—

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, PO-M.I.T, Dist-Muzaffarpur(Bihar) के विरूद्ध मुख्य अभियंता(उत्तर) के पत्रांक—65(अनु0) दिनांक—09.01.2023 द्वारा EMD की राशि, टेंडर फी एवं प्रोसेसिंग फी में गलत सूचना देने एवं साथ ही पत्रांक—1784(अनु०) दिनांक—26.07.2023 से संवेदक, अमित कुमार सिंह के द्वारा श्री रवि चन्द, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फपुर के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली—गलौज, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना, सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना दी गयी है । साथ ही इस संबंध में उनके द्वारा नगर थाना, मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है ।

उक्त के संबंध में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फपुर के द्वारा उनके पत्रांक—सह—ज्ञापांक—1942 दिनांक—15.07.2023 से अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया कि शहीद खुदीराम बोस केन्द्रीय कारा परिसर में महिला कक्षपाल बैरक के निर्माण कार्य के निरीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता द्वारा संवेदक को उक्त कार्य में गुणवत्ता बरकरार रखने एवं अन्य यथोचित् निदेश दिया गया, जिसके क्रम में संवेदक द्वारा अमर्यादित व्यवहार एवं उग्र क्रियाकलाप तथा गाली—गलौज की जाने लगी साथ ही अन्य तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा । इस संबंध में संवेदक से तीन दिनों के अंदर स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा दिया गया । उक्त के संबंध में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया तथा इनके स्पष्टीकरण को कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के द्वारा अमान्य करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया ।

श्री भूलन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—सह—ज्ञापांक—876 दिनांक—03.07.2021 द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से संवेदक के विरूद्ध शिकायत की गयी थी । साथ ही संवेदक के आचरण प्रमाण पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2021 में श्री शैलेन्द्र कुमार, तत्कालीन कनीय अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर के साथ मारपीट की गयी एवं इससे पूर्व में भी अन्य पदस्थापित कार्यपालक अभियंता के साथ मारपीट की घटना हो चुकी है । इसी क्रम में तत्कालीन अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक—455 दिनांक—08.07.2021 के द्वारा कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर से संवेदक को डिबार करने का एवं निबंधन को कालीसूची में डालने का अनुरोध किया गया था ।

मुख्य अभियंता(उत्तर) के पत्रांक—1784(अनु), दिनांक—26.07.2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि संवेदक के द्वारा श्री रवि चन्द, कार्यपालक अभियंता के साथ कार्यालय में कॉलर पकड़ना तथा हाथ उठाने का प्रयास एवं जान से मारने की धमकी देने की सूचना मुख्य अभियंता द्वारा दी गयी है । साथ ही संवेदक श्री अमित कुमार सिंह द्वारा संयुक्त भवन स्थित भवन प्रमंडल कार्यालय मे निलामी में भाग लेने के क्रम में दूसरे संवेदकों के साथ हत्या के नियत से अपहरण किये जाने की घटना हो चुकी है । इस प्रकार स्पष्ट है कि संवेदक, श्री अमित कुमार सिंह, ग्राम—राहुल नगर, ब्रहम्पुरा, पो०—एम०आई०टी०, जिला—मुजफ्फरपुर आदतन अपराधी किस्म का व्यक्ति होने की सूचना दी गयी ।

अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में संवेदक, Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, PO-M.I.T, Dist-Muzaffarpur(Bihar) को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम–11 के आलोक में संवेदक के निबंधन सं०-Class-II-2210110 को आदेश निर्गत की तिथि से दस वर्षों के लिए निलंबित/कालीकृत किया जाता है ।

ह0/–

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–02/2023 पटना,दिनांक–

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-Adarsh Construction, (Prop-Amit Kumar Singh), At-Rahul Nagar, Brahampura, PO-M.I.T, Dist-Muzaffarpur (Bihar) निबंधन सं०-Class-II-2210110 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–02/2023....... पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः–सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– भवन–13/अभि0प्र0(नि0)–03–निलंबन/कालीकृत–02/2023 6103(भ) पटना,दिनांक– 27/7/2023

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

27/7/23

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव